न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 79/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. लालचंद जोशी पुत्र बोहरीलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी– जोशीयों का बास, मामावास तहसील– सोजत जिला– पाली।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–ः निर्णय ः–

दिनांक : –27/06/2023

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार हल्का खोखरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता संख्या 156 खसरा संख्या 799 रकबा 3.1000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 805 रकबा 0.5500 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.6500 हैक्टर की भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के सगे भाईयों की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त का है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता बोहरीलाल पुत्र दयाराम के नाम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश बोहरीलाल के स्थान पर बोहरीदास दर्ज है। तथा उक्त भूमि में छोगा पुत्र दोला सहखातेदार का 1/4 हक हिस्सा एवं सायबचंद पुत्र लच्छीराम का 1/4 हक हिस्सा दर्ज सुदा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता बोहरीलाल पुत्र दयाराम का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित था। लेकिन प्रार्थी के पिता बोहरीलाल का दिनांक 15/02/1974 को स्वर्गवास हो चुका हैं। जिनके उताधिकारी वारिसान में दो पुत्र प्रार्थी लालचन्द जोशी एवं नेमीचन्द हुए। जिसमें से नेमीचन्द, छोगाराम के गोद चले गये, जिससे उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का ही 1/2 हक हिस्सा निहित है। इसके अलावा बोहरीलाल के अन्य कोई उतराधिकारी वारिस नहीं है तथा गांव मामावास में भी बोहरीलाल के नाम की खातेदारी भूमि स्थित, जिस भूमि में भी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा दर्ज है तथा प्रार्थी के भाई नेमीचन्द खोले छोगाराम 1/2 दर्ज है। उपरोक्त गांव मामावास में स्थित कृषि भूमि के खसरा नंबर 148, 149, 150 व 154 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा त्रुटिवंश प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम बोहरीलाल दर्ज नहीं कर बोरीदास दर्ज कर दिया जिसकी प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 138/2022 बाबत् 136 एल. आर.एक्ट का पेश किया जो प्रार्थना पत्र भी न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 13/10/2022 को स्वीकार किया जाकर उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में बोरीदास के स्थान पर बोहरीलाल दुरस्त करने के आदेश पारित किये गये। लेकिन प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की पूर्व में बोरीदास दर्ज होने की जानकारी नही होने से उक्त भूमि के रेकर्ड दुरस्ती की कार्यवाही नही करवा सका। प्रार्थी के पिता बोहरीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, विद्यालय रजिस्टर फार्म, बैंक डायरी, मतदाता पहिचान पत्र एवं ग्राम मामावास में स्थित कृषि भूमि में बोहरीलाल दर्ज सुदा है। जिससे स्पष्ट हैं कि वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता की वल्दीयत बोरीदास त्रुटिवंश दर्ज सुदा है जिसे प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार हल्का खोखरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता संख्या 156 खसरा संख्या 799 रकबा 3.1000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 805 रकबा 0.5500 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.6500 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम बोरीदास पुत्र दयाराम के स्थान पर बोरीलाल पुत्र दयाराम दुरूस्त दर्ज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा खोखरा में स्थित है। पैरा संख्या 02 में वर्णित तथ्यों को वादी स्वयं सिद्ध करना तथा पैरा संख्या 03 व 04 के कम में निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के सलंग्न मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या 08118005990012600008/2023, आधार कार्ड संख्या 604510943932, सहकारी बैंक खाता संख्या 29002105740037298, राशन कार्ड संख्या 200001022708, लालचंद के शैक्षणिक दस्तावेज, वोटर आई डी क्रंमाक एएलआर/0876185 के आधार पर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सरहद मौजा खोखरा के ख.नं. 799 रकबा 3.1000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 805 रकबा 0.5500 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.6500 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बोरीदास पुत्र दयाराम के स्थान पर बोहरीलाल पुत्र दयाराम करने पर कोई आपत्ति नहीं होना, तथा 05 से 07 को कानूनी बताया है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि उसने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के पिता की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा खोखरा के ख.नं. 799 रकबा 3.1000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 805 रकबा 0.5500 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.6500 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम बोरीदास पुत्र दयाराम के स्थान पर बोहरीलाल पुत्र दयाराम शुद्धि किए जाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार सोजत ने स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ख0नं0 799, 805 की जमाबंदी की प्रतिलिपि, प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रार्थी के परिवार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, बैंक डायरी की प्रति, स्कुल रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रति, न्यायालय हाजा द्वारा पारित राजस्व विविध प्रा.पत्र 138/22 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2022 की प्रति पेश किए, जिनका गहनता से अध्ययन किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा भी अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम बोरीदास के स्थान पर बोहरीलाल दुरूस्त किये जाने में सहमति व्यक्त की है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा खोखरा के ख.नं. 799 रकबा 3.1000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 805 रकबा 0.5500 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.6500 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम बोरीदास पुत्र दयाराम के स्थान पर बोहरीलाल पुत्र दयाराम के नाम रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा खोखरा के ख.नं. 799 रकबा 3.1000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 805 रकबा 0.5500 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.6500 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम बोरीदास पुत्र दयाराम के स्थान पर बोहरीलाल पुत्र दयाराम के नाम रेकर्ड दुरूस्त किया जाता हैं। लिहाजा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बोरीदास पुत्र दयाराम के स्थान पर बोहरीलाल पुत्र दयाराम के नाम रेकर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27/06/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली